

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बालोतरा  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प जोल स्टेशन

-:आदेश:- 154/2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जोल सोदा व भूअ.नि. दुप्पा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पुत्रपारा / नायब तहसीलदार जोल की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सोदा की तहसील पुत्रपारा व जिला बांसगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2074 में खाता संख्या 27 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>सोदा</u> की <u>ठावी</u>	27	<u>सतीराम पुत्र बलदेव</u>	<u>सतीराम पुत्र बलदेवराम</u> <u>ब्राह्मण</u>

(पीठासीन अधिकारी)

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

(सोदा)

पीठासीन अधिकारी, कोर्ट कैम्प-20

दिनांक :- 543-544 के 8/1/18  
 उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा कैम्प

क्रमांक :- 543-544

543-544 के 8/1/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पुत्रपारा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री सतीराम पुत्र बलदेवराम ब्राह्मण को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(पीठासीन अधिकारी)

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलेक्टर,

(सोदा) कोर्ट कैम्प-2018

उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा कैम्प

बालोतरा कैम्प